कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

सेवा में,

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

आपत्ति

विषय — जनपद अल्मोड़ा कें विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों—काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 हैं0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 53193/2020)।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या— 8बी/यू0सी0पी0/06/55/2022/एफ0सी0/644 दिनांक 04.08.2022।

निराकरण

महोदय,

क्र. सं.

संदर्भ -

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा 8 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :--

1	The locations of all the villages to be	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग से लाभान्वित होने
	benefited by the proposed road are	वाले ग्राम ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट । के सैक्शन सी० में
	not marked on the KML file.	अपलोड कर लिया गया है।
	Accordingly, the State Govt. is	
	requested to mark the locations of the	
	concern villages in the KML file and	٠٠- بغير
	upload the same in the online portal.	
2	In the geo-referenced map, the	अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.08.2023 को स्थलीय निरीक्षण
	existing roads of Kalika-Dalmoti MR	किया गया, जिसमें प्रस्तावक विभाग द्वारा मौके पर ही
	and Tanwari- Baisolti MR are	पूर्वनिर्मित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर आख्या
	available at both the ends of the	उपलब्ध कराने हेत् कहा गया, जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग
	proposed road. In view of the fact the	द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम भैसोली, टनवाणी भैसोली
	purpose of the proposed alignment is	मोटर मार्ग से जुड़ गया है एवं ग्राम दलमोटी, कालिका
	not clear because there is no	दलमोटी मोटर मार्ग से जुड़ चुका है। किन्तु वर्तमान में ग्राम
	habitation in between these two ends.	बटुली के 32 परिवार की 109 जनसंख्या मोटर मार्ग की
	The concerned DFO is requested to	सुविधा से वंचित हैं जिसके कारण उन्हें उक्त दोनों मोटर
	visit the site and comment on the	मार्गों तक पहुँचने हेतु लगभग ४ कि०मी० की दूरी तय करनी
	requirement of the proposed road.	पड़ती है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से भैंसोली एवं
		बटुलिया के निवासियों को कालिका दलमोटी होते हुये
		रानीखेत जाने के लिये न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी। वर्तमान
		में भैसोली एवं बटुलिया के निवासियों को रानीखेत जाने के
		लिये टनवाणी भैसोली मोटर मार्ग से होते हुये द्वारसों
		काकड़ीघाट मोटर मार्ग से द्वारसों जाकर फिर रानीखेत जाने
		में 25 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। इस मार्ग के बन
		जाने से यह दूरी मात्र 10.00 कि0मी0 रह जायेगी जिससे
		ग्रामवासियों को बाजार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित

3	It is seen that, the bridal path is	आवश्यकताओं के लिये एक सुलभ एवं सस्ता मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जोकि अत्यंत लाभप्रद होगा। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामवासियों
	1-1- all along the proposed	के आवागमन हेतु पैदल मार्ग स्थित है किन्तु वह मार्ग से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है। ग्रामवासियों द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लाये जा रहे पैदल मार्ग की औसतन चौड़ाई मात्र 1.5 मी० है, जो कई जगह 0.50 मी० भी रह जाती है। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7 मी० चौड़ाई में वृक्षों का पातन आवश्यक होगा। यह भी अवगत कराना है कि पैदल मार्ग का ग्रेड अधिकांश स्थानों पर 1:2 से लेकर 1:5 तक है। जोकि मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है।
4	The State Govt. is requested to find out the width of the existing bridle path. It's seen that, in the initial half portion the proposed road is almost parallel to the existing path and if required, the same may be widened instead of constructing a new road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामवासियों द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लाये जा रहे पैदल मार्ग की औसतन चौड़ाई मात्र 1.5 मी0 है, जो कई जगह 0.50 मी0 रह जाती है। यह कहना सही है कि पैदल मार्ग के समानान्तर यह मोटर मार्ग प्रस्तावित है किन्तु यह पैदल मार्ग का ग्रेड अधिकांश स्थानों पर 1:2 से लेकर 1:5 तक है। जोिक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। यदि पूर्व निर्मित पैदल मार्ग के समरेखण पर प्रस्तावित मोटर मार्ग को प्रस्तावित किये जाने के प्रयास किये जाये तो वंचित ग्राम बटुलिया को संयोजित करने हेतु अनावश्यक रूप से लगभग 5 नं0 हेयरपिन बैण्ड बनाने पड़ेगे जिससे अत्यधिक मात्रा में वृक्षों का पातन करने की आवश्यकता होगी एवं उक्त पैदल मार्ग को किसी—किसी स्थान पर ही मोटर मार्ग हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।
5	the propose tree enumeration list for 7m width. Further, tree enumeration for the area proposed for muck dumping shall also be submitted separately.	में गणना सूची पार्ट । के आतारक्त सूचनाओं के बिन्दु से 50 में अपलोड कर ली गयी है।
6	hectare area is found MDF out of total 4.42 ha area. The State Govt. is requested to revisit the area for its suitability and the concerned DFC must ensure that the area proposed CA is suitable for raising plantation and shall have vegetation density below 0.4 If required, this 2.0 ha are can also be replaced with some other suitable area.	चयनित कर लिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना पाट । के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 51 में अपलोड कर ली मयी है। , प्र
	7 The villages located at both the end of the proposed road are already we	भ भ ० भ भ मने माम वर्गनिया के 22

connected. There is no necessity of the proposed road.

the proposed road. Further, the road affects 246 trees. The State Govt. is requested to justify the necessity of

The total forest involved and the numbers of trees affected in the proposed as well as the alternative alignment are also not provided. The State Govt. is requested to ensure that the User agency shall provide the details to alternative alignments.

परिवारों की 109 जनसंख्या एवं ग्राम दलमोटी के 46 परिवारों की 187 जनसंख्या इस मोटर मार्ग के बन जाने से लाभान्वित होगी। उक्त क्षेत्र में फल, सब्जी का उत्पादन प्रच्र मात्रा में होता है किन्तु उक्त क्षेत्र में मोटर मार्ग नहीं होने से ग्रामवासियों को अपने उत्पाद सिर बोझ या घोड़े खच्चरों की मदद से बाजार पहुँचाते हैं, जिससे अत्यधिक लागत आती है। यह मार्ग जनहित में बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्नक संख्या 2.3 (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट) के अनुसार प्रस्तावित समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 1160 (मी०) नाप भूमि., 940 (मी0) सिविल भूमि, 300 (मी0) वन पंचायते, 1600 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी तथा इस वैकल्पिक समरेखण के चयन में कुल 1.044 हे0 नाप भूमि 0.846 हे0 सिविल भूमि 0.270 हे0 वन पंचायत भूमि एवं 1.440 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.556 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर लगभग 418 वृक्ष चीड़, बॉज, काफल की प्रजाति के वृक्ष इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 60 वृक्ष बांज प्रजाति के भी प्रभावित होंगे। जिस कारण यह संरेखण मार्ग निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया जिसे मार्ग निर्माण हेतु निरस्त किया गया ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियों में।

भवदीय,

(दीपक सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा।